

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

मान ..... रजीराम ..... बनाम ..... औद्योगिक आदि .....  
 न्याय संख्या ..... 51, 2022 अन्तर्गत धारा ..... 312 RTA .....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
7/8/25	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2, 3 को एक-2 कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आए। प्रतिवादी सं. 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 5/8/25 को पेश हो।	
5/8/25	बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	
27/8/25	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र पेश नहीं करने पर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/09/25 को पेश हो।	
17/09/25	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस खुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राचीन प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विनियमों के अन्तर्गत से कम्प्लेंट मूलवाद के साथ संलग्न हो।	<p>सहायक क्लर्क एवं पदेन                      उपखण्ड अधिकारी                      श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)</p>

